

कार्यालय,**प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा परिषद****उत्तर प्रदेश लखनऊ**

संख्या:- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

तखनक:- दिनांक: 09/08/2021

:-आमोदक नाम:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मचारी कल्याणितर आंक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैलिक सत्र 2021-22 हेतु विज्ञापना राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तरा लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 18/08/2021 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु जालेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघर्षित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश सम्मल वृद्धि सहित अन्य सर्दी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 50 80 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश सम्मल हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम - 4041-KASHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MS-21, VARANASI ALLAHABAD HIGHWAY, MIRZAMURAD, VARANASI-221307

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/ पी0सी0आइ0 द्वारा सत्र 2021-22		परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु	
		हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता		अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
1	CIVIL ENGINEERING	90		90	
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120		120	
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	90		90	

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट-1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनामकी-1992, संशुद्धित विनियमनामकी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निधेयता समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु 30-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक-एक दो वर्षों पाठ्यक्रमों (टो इफीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रिका से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर धारण द्वारा निर्गत किये जाने वाले सम्मलेता प्रकाश होये, और तदनुसार कार्यवाही किया जाये आवश्यक होगा। शिवा निधेयता समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनीकरण दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3080) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उन समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता विनियमनामकी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटी के रिजल्ट होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सम्मलेता के अनुसार निधेयता एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाये आवश्यक होगा।



- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविषयक/प्रविधिक/अनुसन्धान/निदेशी एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उपाध्यक्ष प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बतान होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संख्या यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में समस्त उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई कष्ट टाकर शिक्षा प्राप्त है तथा टाकर कष्ट के संस्था में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु क्वॉलिफिकिंग पराम होने के पूर्व पीसीआईएच से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (क्वॉलिफिकिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत लॉकडाउन आरेक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने केबलट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टॉक, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को सिक्योरिटी हेतु उपयुक्त बंधनवश उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-आवर, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निर्देशन द्वारा यदि संस्था ने भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीसीआईएच/परिषद के मातृकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसन्धानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू.सं- प्राविधापरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 08/08/2021

पत्तिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, KASHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MS-21, VARANASI ALLAHABAD HIGHWAY, MIRZAMURAD, VARANASI-221307



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9678

लखनऊ: दिनांक: 03/10/2022

:-कार्यालय शाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपर्यंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 03/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्धीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4041-KASHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और



तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/निर्णय/अधिनियम/शासनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये निष्पत्तों, विनिर्णयों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वतावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(हस्ताक्षर)

(एफ०आर० खान)

सचिव

पु०स०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9679-9717

दिनांक: 03/10/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, KASHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY



(एफ0आर0 खान)
सचिव



**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

<कार्यालय छाप>

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं धार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/धार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4041-KASHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईआईटीआई/ पी०सीआईओ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	30	30
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	90	90

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुक्रम-3 उच्च प्रदेश सत्रण के पर संख्या 311/19-3098/2022 टी०सी०.१ दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित संस्था संस्थाओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्राविधिक शिक्षा परिषद संख्या 5027/2023 में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अधीन प्रवेश के अधीन सम्बद्धता मिलती जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/धार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा विद्यमान की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/धार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के संस्था के अनुसूची संस्था से सम्बन्ध स्थापना (धूमि, भवन, बैंक उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमवली-2000, कोडर 22 विनियमवली-2018 तथा संस्था-सत्रण पर निर्णय वास्तुवादी का अनुमोदन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधीन प्रवेश क्षमताओं से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-सत्रण पर ध्यान देना निर्णय किये जाने वाले वास्तुवादी प्रभावी होंगे और वास्तुवादी कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु शर्त का पूर्णतःपालन किये जाया है तो प्रवेश की योग्यता ही उत्पन्न होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित। उत्तर को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को सत्रण-सत्रण पर निर्णय वास्तुवादी के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्णय विनियमवली-2000/विनियमवली-2018/विनियमवली-2018, विनियमवली-2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सत्रण पर निर्णय, विनियमवली-2000, निर्णयों का पालन करने के लिए क्षमतावादी है।
- ✓ यदि संस्था को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/धार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संस्था में सम्बन्ध उत्तराधिक संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था सत्रण उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सत्रण के विषय यदि कोई भी दावा किया जाता है तो उस दावा का के सम्बन्ध में सं. वास्तुवादी द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संस्था को प्रदान नहीं किया जाता है। सम्बन्ध प्रतिपूर्ति अर्थात् संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्राविधिक एवं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयीय प्रवेश होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/धार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपकरण जमा करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमोद प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सत्रण द्वारा प्रवेश हेतु संस्था-सत्रण पर निर्णय वास्तुवादी वास्तुवादी विनियमों का अनुमोदन करना आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के गुणवत्ता वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्ध सूचना जैसे संस्था की वास्तुवादी एवं धूमि, भवन, बैंक-उपकरण उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, आवश्यक शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।



- ✓ संस्था की शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासिकात्मक/आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण/आवृत्ति के समस्त उपकरण कराने एवं अभिलेख भूमि/आवृत्ति/अवधि/उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परियोजना के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी तो कि संस्था उपकरणों का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त करने/जाने की कार्यवाही करी जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा (वैश्वविद्यालय) और गुणवत्ता नियंत्रण, वीरवारुण का सम्बद्ध विभाग जिला शिक्षण-प्रशासकी 2000 के प्राविधिक/पुस्तक परिषद की सेवा पर अपने कार्यवाही, अगुवाई और अगुवाई को परिषद को परिषद के सम्बन्ध के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिकारी/अधीनस्थ/निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य आवश्यकताएँ परीक्षण/परिषद के सम्बन्ध/परिषद के सम्बन्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुपालन न करने जाने अथवा पूर्ण का उल्लंघन करने/जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसंधान/संकलन कार्यवाही करी जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुस्तक- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक, KASHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

